

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**नियुक्ति अनुभाग-2**  
**संख्या-07/2018/4381 /दो-2-2017-28/2(15)/2017**  
**लखनऊ: दिनांक: 08 जनवरी, 2018**  
**आदेश**

श्री श्रीकृष्ण, पी0सी0एस0-1997 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-72106 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री श्रीकृष्ण, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-26/मिलान डायरी-374, दिनांक 05-01-2017 के अनुसार वर्ष 2015-2016 तक कुल जमा धनराशि रू0-19,37,232/- (रू0-उन्नीस लाख सैतीस हजार दो सौ बत्तीस मात्र) जिसमें माह 3/16 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-17,43,508.80 अर्थात रू0-17,43,509.00 (रूपये सत्रह लाख तैतालिस हजार पांच सौ नौ मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री श्रीकृष्ण के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**उदय भानु त्रिपाठी**  
**विशेष सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, कौशाम्बी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री श्रीकृष्ण, पी0सी0एस0, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वि/रा), कौशाम्बी के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कौशाम्बी।
- 4- श्री श्रीकृष्ण, से0नि0, पी0सी0एस0, 32, एच0आई0जी0-3, प्रगतिपुरम, रायबरेली-229001

**आज्ञा से,**

**(धनन्जय शुक्ल)**  
**संयुक्त सचिव।**